न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 12/2021 अपील

1. बाबूलाल पुत्र स्व0 जंगल —मृतक
   1/1. भूरीदेवी पत्नी } स्व0 बाबूलाल
   1/2. लक्ष्मीदेवी पुत्री }
   1/3. प्रिया पुत्री बाबूलाल नाबा0 प्रा0 सं0 माता भूरीदेवी पत्नि स्व0 बाबूलाल
2. बलबंत } पुत्रान स्व0 बाबूलाल
3. द्वारिका }
4. बत्तो बेबा प्रेमसिंह पुत्र जगल

जाति माली निवासी कस्बा बयाना भरतपुर।

अपीलांटान

बनाम

1. नगरपालिका बयाना जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बयाना
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

असल उत्तरवादीगण

3. गज्जो पुत्र
4. गौमती } पुत्रीयान } स्व0 जंगल
5. भगवानदेई }
6. दीपा } पुत्रीयान स्व0 प्रेमसिंह पुत्र जंगल
7. पार्वती
8. पूनम
9. सुनीता

जातियान माली निवासी कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

तरतीवी उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम आदेश विरुद्ध तहसीलदार बयाना दिनांक 10.02.2021 नामान्तकरण संख्या 3961 बाबत् आराजी ख0न02404/0.06 व 2405/0.03 किता 2 रकबा 0.09 है0 वाके कस्बा बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थिति :
1. श्री दुलीचन्द शर्मा व हेमराज शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री धर्मेन्द्र प्रजापति अभिभाषक अप्रार्थी0
3. पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 13.03.2026

अपीलांट ने अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र स्थगन जरिये अभिभाषक विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार बयाना बावत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नामा0 संख्या 3961 दिनांक 10.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपीलाधीन नामा0 3961 दिनांक 10.02.2021 में अपीलान्ट के नाम इन्द्राज को नगरपालिका के नाम दर्ज करने की अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है जिससे व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की तहत पत्रावली तलब की गयी।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि साविक ख0न0 1387 रकबा 0.07 बिस्वा तथा 1390 रकबा 0.04 बिस्वा के है जिनके नये नम्बर 2404/0.06 व 2405/0.09 है0 के निर्मित किये गये है जो कस्बा बयाना में स्थित है। अपीलान्टान उक्त आराजी पर संवत् 2012 के पूर्व से ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज आराजी है तथा हमारे पिता इसके खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी थे उनके पश्चात् विरासतन हम खातेदार तथा मौके पर काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग निरंतर कर रहे है। हमारे पिता संवत् 2020 तक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे किन्तु संवत् 2021 में राजस्व कर्मचारियो ने अवैधानिक रूप से चारागाह दर्ज कर दिया व इस गलत इन्द्राज से आराजी को नगरपालिका बयाना के हिस्से में आवंटन कर दिया। इस सबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में दावा 88,89 व 188 आरटीए के तहत किया। मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय से खसरा नम्बर 2404 के बाबत् दिनांक 01.11.2006 को अपीलांट के हक में खातेदारी घोषित करते हुये दावा डिक्री हो गया तथा 2405 के बाबत् मान0र ाजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है। रेस्पो0 स0 1 व 2 ने भी उक्त निर्णय व डिक्री की पृथक–पृथक अपील कर रखी है जो राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। दोनों ही अपीलो में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट पक्षकार है। दिनांक 31.03.2021 को राजस्व मण्डल के द्वारा अपील संख्या 2007/631 में स्थगन आदेश जारी करते हुये विवादित आराजी उभयपक्ष को को मौके व राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति कायम रखने के आदेश पारित किये गये है। सरकार के द्वारा भी राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 01.01.2006 के विरूद्व मान0 राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई है जो कि विचाराधीन है। इसके बावजूद भी दिनांक 10.2.2021 को नामान्तकरण संख्या 3961 असल रेस्पो0 नगरपालिका बयाना के हक में दर्ज किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्टान ने अपील प्रस्तुत की गई है। अपर न्यायालयो में प्रकरण विचाराधीन है तथा रेस्पोडेन्टान स्वंय न केवल हाजिर है अपितु स्वंय ने भी अपील मान0 राजस्व मण्डल अजमेर मे कर रखी है तो ऐसी स्थिति में तहत अदालत को नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा ख0न0 2404 पर हमें खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था इसके विरूद्व मान0राजस्व मण्डल में सरकार की अपील लम्बित होते हुये नगरपालिका को खातेदारी नही मिली थी। फिर भी तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश से नगरपालिका के हक में निर्णय पारित किया गया है जो कि अवैधानिक है जो न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017 पेज 1348 दौराने दावा अपील के चलते न्यायालय की अनुमति से ही नामान्तकरण खोला जा सकता है परन्तु ऐसी कोई अनुमति नगरपालिका या तहसीलदार द्वारा नही ली गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन हो तथा पक्षकारों के हको का विनिश्चिय किया जाना हो तो नामान्तकरण की कार्यवाही नही की जानी है। परन्तु तहत अदालत ने इस विधान को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि अवैधानिक है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटान को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है।

अभिभाषक अपीलांटान द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 3961 दिनांक 10.02.2021 कस्बा बयाना को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटान एवं रेस्पोडेन्टान के मध्य चल रहे नियमित वाद के निर्णय तक नामान्तकरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 3961 दिनांक 10.02.2021 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आवंटन/सैट अपार्ट आदेश के तहत स्वीकृत किया गया है जो कि तहत अदालत को बखूबी अधिकार है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि मान0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.11.2006 को खसरा नम्बर 2405 को नगर पालिका के हक में निर्णीत किया था। अपील विचाराधीन है किन्तु किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नही है। मान0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश कमांक राजस्व/12/12(1)/2003/1755–1762 दिनांक 203.2003 की पालना में पूर्व में निर्णय दिनांक 09.4.2003 में खसरा नम्बर 2404 व 2405 पर हाल व गत जमाबंदियों में कोई भी स्थगन आदेश नही होने के कारण आबादी विस्तार हेतु अपीलाधीन आदेश से आवंटन किया गया है। है। मान0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश कमांक राजस्व/12/ 12 (1)/2003/1755–1762 दिनांक 203.2003 मे स्पष्ट किया है कि "राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अधीन शक्तियों का उपयोग करते हुये आराजी खसरा नम्बर 2404/0.06 व 2405/0.03,975/0.07,2200/0.05,2201/0.69, 2619/0.36 किस्म चारागाह किता 6 रकबा 0.66 है0 वाके कस्बा बयाना को चारागाह से खारिज कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 7(5) के अनुसार आबादी विस्तार हेतु नगर पालिका बयाना को आरक्षित किया गया है। नगर पालिका बयाना को आंवटित भूमि के और पास की भूमि का निर्धारित लगान का 40 गुना पूंजीगत मूल्य के रूप में जमा कराने के बाद आवंटित किया गया है। इसलिए अपील अपीलाट को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 3961 दिनांक 10.2.21 निर्णय द्वारा तहसीलदार बयाना का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर महोदय भरतपुर के आदेश कमांक राजस्व/12/12(1)/2003 /1755–1762 दिनांक 20.3.2003 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित खसरा नम्बर 2404 व 2405 का पूर्ण हिस्सा को चारागाह से आबादी विस्तार हेतु नगर पालिका के पक्ष में स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाधीन आराजी अपीलान्ट की खातेदारी में सवंत् 2020 तक रही है तथा संवत् 2021 में चारागाह दर्ज की गई है। जिसके विरूद्व सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना में दावा दर्ज कर न्यायालय के आदेश 08.02.2006 द्वारा उक्त आराजी को चारागाह भूमि में यथावत् रखा गया तथा उपखण्ड अधिकारी के आदेश की अपील मान0 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2006 से अपील आंशिक स्वीकार की जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 2405 के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा गया है तथा 2404 के बाबत्

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा ख0न0 2405 के बाबत् अपील मान0राजस्व मण्डल अजमेर में की गई तथा ख0न0 2404 में खातेदारी के विरूद्व तहसीलदार बयाना द्वारा मान0राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मान0न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 31.3.2021 द्वारा विवादित आराजी ख0न02404 पर उभयपक्ष के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिये गये है। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश मे ख0न0 2404/0.06 व 2405/0.03 है0 चारागाह से श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर के द्वारा आबादी विस्तार हेतु नगर पालिका बयाना को आरक्षित करने के आदेश से नामान्तकरण संख्या 3961 दिनांक 10.2.2021 से स्वीकृत किया गया है। अपीलांट का कथन है कि जब खसरा नम्बर 2404 को मान0 राजस्व अपील अधिकारी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तो खातेदारी आराजी को सैट अपार्ट हेतु आरक्षित किया जाना न्यायसंगत नही है। विवादित आराजी के सबंध में अपीलांट एवं तहसीलदार बयाना द्वारा पृथक-पृथक अपीलें मान0राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होते हुये अपीलाधीन आज्ञा पारित की गई है। इस सबंध में अपीलांट अपील के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत The Tranfer of property Act,1882 page 358,RRd 1977 page 655,RRd 1973page 552,RBJ1999 page 481 पेश किये है जो कि प्रकरण पर चस्पा नही होती है।

हमारी राय में मुख्यतः नामान्तकरण के सबंध में ही विचार किया जाना आवश्यक पाते है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण संख्या 3961 दिनांक 10.02.2021 के विरूद्व पेश की है जो कि श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश कंमांक राजस्व/12/12(1)/2003/1755-1762 दिनांक 20.3.2003 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित खसरा नम्बर 2404 व 2405 के संपूर्ण हिस्से को चारागाह से आबादी विस्तार हेतु नगर पालिका के पक्ष में स्वीकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश के सबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी किन्तु उनके द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नही की गई है।

यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब सक्षम आदेश के अनुसार कोई नामान्तकरण खोला है तो उस नामान्तकरण को चुनौती के बजाय उस आदेश को चुनौती दिया जाना आवश्यक है, जब तक वह आदेश प्रभाव में रहता है तो नामान्तकरण मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश किसी प्रकार त्रुटि नही होने से अपील अपीलांट काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि:-

अपील अपीलान्ट उपरोक्त विवेचनानुसार खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर